न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 1/2014 नि
दायरा तिथि : 13.03.2014
आदेश तिथि : 18.12.2017

प्रार्थी :–
नेनू बाई पत्नि छोगाजी
जाति मेगवंशी, निवासी करनवा
तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थीगण (प्रभावित खातेदार) :–
जीवा पुत्र भूराजी के कायम मुकाम
1. सुमटीदेवी पत्नि जीवाराम
2. सकाराम पुत्र जीवाराम
   जातिगण मेगवंशी, निवासी करनवा तहसील बाली
3. छोगीदेवी पुत्री जीवाराम पत्नि दूदारामजी निवासी लालराई
4. निरमा कुमारी पुत्री जीवाराम पत्नि जीवारामजी निवासी सेसली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश दिनांक : 18-12-2017

प्रार्थी खातेदार नेनूबाई पत्नी छोगाजी जाति मेगवंशी निवासी करणवा तहसील बाली ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–68 के निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत कर धारित खातेदारी कृषि भूमि मौजा सेवाडी के खसरा संख्या 2427 रकबा 0.77 हैक्टर मे आवागमन के लिए अन्य खातेदारान् जीवा पुत्र भूरा मेगवंशी नि. सेवाडी की खातेदारी भूमि ख.न. 2426 की भूमि मे से नया मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में नियमो के नियम–69 के तहत तहसीलदार, बाली एवं भू. अभिलेख निरीक्षक, सेवाडी से मौका निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त करने के साथ ही प्रभावित खातेदार को आक्षेप/एतराज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस की तामिल जीवा पुत्र भूरा की मृत्यु होने से उनके पुत्र सकाराम पुत्र जीवा द्वारा की गई। अप्रार्थी सकाराम पुत्र जीवाराम द्वारा दिनांक 25–04–2017 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाव हेतु समय चाहा। उसके पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा आदिनांक तक कोई जबाव/आक्षेप प्रस्तुत नही किया गया।

इस संबंध मे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक : राजस्व/2017/1102 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 2427 रकबा 0.77 हैक्टर व खसरा नंबर 2479 रकबा 1.26 हैक्टर भूमि नेनूबाई पत्नि छोगाजी मेगवंशी निवासी करणवा तह. बाली की खातेदारी मे दर्ज है। वर्तमान मे आवेदक अपनी धारित खातेदारी भूमि के ख.न. 2426 की माठ के सहारे–सहारे आना–जाना करते है तथा अन्य कोई विकल्प मौजुद नही है। प्रस्तावित भूमि मे कोई वृक्ष या निर्माण आदि नही है एवं प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 77700/– रूपये प्रति बीघा है। उक्त रास्ते हेतू तहसीलदार, बाली/भू–अभिलेख निरीक्षक सेवाडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिशंषा के अनुसार आवेदक खातेदार द्वारा धारित भूमि मे आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नही होना जाहिर है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आवेदक को धारा 251(क)(1)(ख) एवं (ii) एवं नियमो के नियम–69(ii) के अन्तर्गत सेवाडी के ख.नं. 2427 की भूमि मे आवागमन हेतु खसरा नं. 2426 रकबा 0.52 हैक्टर मे से 4 X 93= 372 वर्गमीटर नया मार्ग संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं :–

पेज लगातार––2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या /2014 अनवान नेनूबाई बनाम जीवा के कायु. सकाराम वगैरा अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

ख.नं.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व.मी.)	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 77700/- प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि	प्रभावित खातेदार का नाम
2426	0.52	4 X 93= 372व.मी.	48.56	36128/-	जीवा पुत्र भूरा मेगवंशी सा. करनवा के कायम मुकाम सकाराम पुत्र जीवा, सुमटी पत्नि जीवा, छोगी, निरमा कुमारी पुत्रीया जीवा

अतः राशि रूपये 36128/- अक्षरे छत्तीस हजार एक सौ अठाईस रूपये बतौर प्रतिकर उपरोक्त खातेदारान को देय होंगे। अधिनियम की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में 372 वर्गमीटर नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदार को उपलब्ध कराई जावेगी।

तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना प्रतिवेदन नक्शा एवं खतौनी की प्रति सहित प्रस्तुत की जावेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का सेवाडी को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस

आदेश आज दिनांक 18-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बाली

Scanned by CamScanner